

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(आय-व्ययक अनुभाग)
सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश।

संख्या: जी-646/आई0बी0/108बी0-22ए/अनु0-94/पूँजीलेखा लखनऊ दिनांक नवम्बर 30, 2018
कार्यालय शाप

वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 94 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) पूँजी लेखा के अन्तर्गत शासनादेश सं0-114/2018/3143/18-27-सिं0-9-08मवन/17, दिनांक 27-11-2018 द्वारा "जनपद महाराजगंज में बौधरी चरण सिंह निरीक्षण गृह सिंचाई कालोनी परिसर महाराजगंज के पुनरोद्धार की परियोजना" की प्रशासकीय स्वीकृति रु0 38.50 लाख की प्रदान करते हुए, चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रु0 19.70 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत हुई है।

उक्त प्राप्त वित्तीय स्वीकृति के क्रम में सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता को उनके सम्मुख अंकित धनराशि व्यय किये जाने हेतु एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है:- (आकड़े लाख रुपये में)

लेखाशीर्षक/उपशीर्षक/मद	मुख्य अभियन्ता का नाम	प्रविष्टि धनराशि
अनुदान संख्या-94 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) 4700-मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय 36-गण्डक नहर प्रणाली की क्षमता पुनर्स्थापना की परियोजना (वाणिज्यिक) 051-निर्माण 10-नहर 1014-सम्बद्ध कार्य 24-बृहत्त निर्माण कार्य	(गण्डक) गोरखपुर।	19.70

रुपया उन्नीस लाख सत्तर हजार मात्र

उपरोक्त धनराशि का आवंटन समय-समय पर जारी कार्यालय ज्ञापों एवं उपरोक्त शासनादेश में क्रमांक- 01 से 14 तक दिये नियमों/शर्तों का अक्षरशः अनुपालन किया जाय।

दिनेश कुमार राठी
प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग।

संख्या: जी-646 (1)/आई0बी0/तददिनांक:- 30/11/2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं -

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी-प्रथम/द्वितीय), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 3- विशेष सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-9, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- 4- प्रमुख अभियन्ता (परियोजना) सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 5- मुख्य अभियन्ता (पूर्व) सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, गोरखपुर को शासनादेश की प्रति सहित।
- 6- मुख्य अभियन्ता (अग्रिम नियोजन) सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 7- मुख्य अभियन्ता (अनुश्रवण)/(सूचना प्रणाली संचालन) सिं0 वि0, उ0प्र0, लखनऊ।
- 8- मुख्य अभियन्ता (गण्डक) सिंचाई विभाग, उ0प्र0, गोरखपुर को उक्त शासनादेश की प्रति सहित।
- 9- वित्त नियंत्रक, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उक्त शासनादेश की प्रति सहित।
- 10- अधिशासी अभियन्ता (बजट) सिंचाई विभाग, उ0 प्र0, लखनऊ को उक्त शासनादेश की प्रति सहित।
- 11- प्रशासनिक अधिकारी (बजट) सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 12- कट फाईल।

(अशोक कुमार सिंह)

मुख्य अभियन्ता (बजट)

कृपया प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग।